BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
APPEAL NO. 6 OF 2024

IN THE MATTER OF:

M/s Azaan International .... Appellant

Versus

Uttar Predesh Pollution Control Board .... Respondent

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
1	Reply on behalf of Respondent -Uttar Pradesh Pollution Control Board alongwith supporting Affidavit	1-4
2	**Annexure R/1** A true copy of the Letter dated 16.06.2018 from DM, Kanpur to Kanpur Electricity Supply Company Limited	5
3	**Annexure R/2** A true copy of the letter dated 20.06.2018 from the Respondent to the Appellant imposing environmental Compensation.	6-7
4	**Annexure R/3** A true copy of the electricity bill or the period 10.04.2018 to 07.05.2018	8-
5	**Annexure R/4** A true copy of the letter dated 27.06.2018 from the Respondent to the Appellant.	9
6	**Annexure R/5** A true copy of the inspection report dated 15.09.2018 alongwith water sample report dated 31.08.2018	10-12
7	**Annexure R/6** A true copy of the show cause notice dated 18.07.2023 alongwith postal receipt.	13-15
8	**Annexure R/7** A true copy of the reply dated 25.07.2023 to the show cause notice dated 18.07.2023	16-17
9	**Annexure R/8**	

NOTARY Vijai Kumar Advocate Kanpur (U.P.) R.No. 66/7/09 GOVT. OF UTTAR PRADESH

	A true copy of the site inspection report dated 02.12.2023.	18-20
10	**Annexure R/9** A true copy of the letter dated 16.02.2024 from the Appellant to the Respondent	21-22

Respondent
Uttar Pradesh Pollution Control Board

Through

Amit Shukla
Advocate
D-54, Sector- 48, Noida – 201303
Mo. Nos. 9999933220, 9999333220
Email: amit.shukla@lexweb.in

Place: New Delhi
Date: 08.10.2024

NOTARY
Vijai Kumar
Advocate
Kanpur (U.P.)
R.No. 66(70)09
GOVT. OF UTTAR PRADESH

1

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
APPEAL NO. 6 OF 2024

IN THE MATTER OF:

M/s Azaan International .... Appellant

Versus

Uttar Predesh Pollution Control Board .... Respondent

REPLY ON BEHAL OF RESPONDENT UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BAORD TO THE APPEAL BEING PREFERED BY THE APPELLANT

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the contents of Appeal are denied unless otherwise expressly admitted. It is submitted that the Appellant has misled this Hon'ble Tribunal and have made averments in the Appeal contrary to the records, while concealing material facts.

2. That a letter dated 14.06.2018 was issued by the District Magistrate, Kanpur Nagar to Managing Director, Kanpur Electricity Supply Company Limited directing to disconnect the Electricity Supply of Ms/ Azaan International as the unit was found operational during inspection conducted on 07.06.2018 in violation of order dated 19.07.2017 when the unit was found to be illegally operational.

   A true copy of the Letter dated 16.06.2018 from DM, Kanpur to Kanpur Electricity Supply Company Limited is annexed herewith and marked as **Annexure R/1.**

3. The Environmental Compensation was imposed on the Appellant by the Respondent vide its letter dated 20.06.2018.

NOTARY
Vijai Kumar
Advocate
Kanpur (U.P.)
R.No. 66/70/09
GOVT. OF UTTAR PRADESH

A true copy of the letter dated 20.06.2018 from the Respondent to the Appellant imposing environmental Compensation is annexed herewith and marked as **Annexure R/2.**

4. The Respondent obtained an electricity bill for the period 10.04.2018 to 07.05.2018 in the name of the Respondent with Meter No. KES24241, hence, the claim of the Respondent that the electricity connection was discontinued on 30.05.2017 is mischievous and wrong.

   A true copy of the electricity bill or the period 10.04.2018 to 07.05.2018 is annexed herewith and marked as **Annexure R/3.**

5. The Respondent sent a letter dated 27.06.2018 to the Appellant directing closure of unit and further discontinuation of electricity and water.

   A true copy of the letter dated 27.06.2018 from the Respondent to the Appellant is annexed herewith and marked as **Annexure R/4.**

6. The inspection was again conducted by the Respondent of the Appellant unit on 25.08.2018 and the unit was again found operational illegally.

   A true copy of the inspection report dated 15.09.2018 alongwith water sample report dated 31.08.2018 is annexed herewith and marked as **Annexure R/5.**

7. That a show Cause Notice was sent to the Respondent as to why the Environment Compensation of INR 1,23,75,000.00 be not imposed for the continued violation of environmental laws. The show cause notice was sent through Speed Post on 19.07.2024 and

NOTARY
Vijai Kumar
Advocate
Kanpur (U.P.)
UTTAR PRADESH

3

was also duly served upon the Respondent by hand and received by Ms. Isha on 24.07.2023.

A true copy of the show cause notice dated 18.07.2023 along with postal receipt is annexed herewith and marked as **Annexure R/6.**

8. The Respondent replied to the Show Cause Notice vide its reply dated 25.07.2023.

A true copy of the reply dated 25.07.2023 to the show cause notice dated 18.07.2023 is annexed herewith and marked as **Annexure R/7.**

9. The Respondent conducted another inspection of the Appellant's premises on 02.12.2023.

A true copy of the site inspection report dated 02.12.2023 is annexed herewith and marked as **Annexure R/8.**

10. That the order of Environmental Compensation dated 05.01.2024 was passed by the Respondent, which is impugned in this Appeal.

11. The Appellant sent a letter dated 16.01.2024 to the Respondent disputing the inspection report dated 02.12.2023.

A true copy of the letter dated 16.02.2024 from the Appellant to the Respondent is annexed herewith and marked as **Annexure R/9.**

NOTARY
Vijai Kumar
Advocate
(U.P.)
R.No. 60/70/09
UTTAR PRADESH

Respondent
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Through

Amit Shukla
Advocate
D-54, Sector- 48, Noida – 201303
Mo. Nos. 9999933220, 9999333220
Email: amit.shukla@lexweb.in

Place: New Delhi
Date: 08.10.2024

4

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
APPEAL NO. 6 OF 2024

IN THE MATTER OF:

M/s Azaan International .... Appellant

Versus

Uttar Predesh Pollution Control Board .... Respondent

AFFIDAVIT

Affidavit of Mr. Amit Mishra, S/o D.P. Mishra, aged about 44 years, Office at 5243, Sadbhavana Nagar, Awas Vikas, Phase III, Kalyanpur, Kanpur, Uttar Pradesh 208017

NOTARY Vijai Kumar Advocate Kanpur (U.P.) NOTARIAL UTTAR PRADESH

I, the above named deponent do hereby solemnly affirm and state as under:

1. I say that I am the Regional Officer of the Respondent in the present case and as such being conversant with the facts and circumstances of the present case, am competent to swear this affidavit.

2. That I have gone through the contents of the accompanying reply to the Appeal and the contents of the same are true and correct as per my knowledge based on record and legal knowledge obtained.

3. That the Annexures annexed to the present accompanying reply are true copies of their respective original.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Kanpur on this the 9th day of October 2024 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

... before me this 09-10-2024 day of ...
Shri Amit Mishra
the deponent to whom the contents of the Affidavit/Document have been read out and explained and who is duly identified

VIJAI KUMAR (Advocate)
U.P. Govt Notary Kanpur Court (U.P.)

ANNEXURE R/1

5

③

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

पत्र सं0 968 /एस0टी0–2018 /स्था–II दिनांक 14-6-18

प्रेषकः–

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

सेवा में,

प्रबन्धक निदेशक,
कानपुर विद्युत आपूर्ति कं0 लि0,
सिविल लाइन,
कानपुर नगर।

विषयः–**अवैध रूप से संचालित उद्योग मै0 अजान इण्टरनेशनल (मै0 जुनैद टैनिंग इण्टस्ट्रीज परिसर के अन्दर) 93/78, 79–ए ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर का संचालन निषेधित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि मै0 अजान इण्टरनेशनल (मै0 जुनैद टैनिंग इण्टस्ट्रीज परिसर के अन्दर) 93/78, 79–ए ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के पत्र संख्या 1128/एसटी–2017 दिनांक 29.07.2017 द्वारा टैनरी उद्योगों के निरीक्षण हेतु गठित समिति की टीम–3 द्वारा उद्योग को अवैध रूप से मानते हुए उद्योग को तत्काल सील/बन्द कर दिया गया था। निरीक्षण दिनांक 07.06.2018 में उद्योग संचालित पाया गया।

उक्त उद्योग पर बन्दी सुनिश्चित कराने के आशय से इनको प्राप्त होने वाली विद्युत आपूर्ति तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करवाने का कष्ट करें।

(सुरेन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी
कानपुर नगर।
o/c

प्रतिलिपिः–

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर को इस आशय से कि सन्दर्भित उद्योगों के संचालन को निषेधित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुरेन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी
कानपुर नगर।
o/c

True copy

(4) ANNEXURE R/2 6

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर
REGIONAL OFFICE : U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ 1037/इन्टी-5/9/18 दिनांक 20-6-18

सेवा में,

मै0 अजान इण्टरनेशनल,
93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ,
कानपुर नगर।

विषयः– **ओ0ए0 संख्या 200/2014 एम0सी0मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में रू0 25000/– पर्यावरणीय क्षपिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओरिजनल अप्लीकेशन नं0 200 आफ 2014 एम0सी0मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को औद्योगिक उत्प्रवाह/एस0टी0पी0/सी0ई0टी0पी0 के सम्बन्ध में निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैः–

1- Any Government Agency, Public Authority, Industry or person who violates any of the directions contained in this judgment and more particularly in relation to storage, transportation of spent chrome liquor, dumping of any kind of waste in river Ganga and its tributaries or on the banks of the same and discharges effluents from outlet, including the STP/CETP in violation to the prescribed norms or is found to be discharging spent chrome liquor or any effluent containing chrome or otherwise, shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 50,000/- for each breach or default. Besides above, where offence is related to chrome, in case of Industry which is processing 30 or less hides per day, they would be liable to pay environmental compensation of Rs. 25,000/- per breach; industry entitled to process more than 30 but less than 100 hides per day. Would be liable to pay environmental compensation of Rs. 50,000/- per breach and the industry processing more than 100 hides per day, Rs. 1,00,000/- per breach. The environmental compensation shall be recovered by the UPPCB on the basis of the violations detected by the Board, any of the inspecting agency or the inspection teams appointed by this Tribunal. In the event of default of payment of the environmental compensation, the industry shall be ordered to be closed."

2- मै0 अजान इण्टरनेशनल, 93/78, 79–ए ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 07.06.2018 को किया गया। उक्त उद्योग मै0 जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज, 150 फिट रोड, (93/78, 79–ए) ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर परिसर के अन्दर स्थापित/संचालित है। निरीक्षण के समय उद्योग मै0 अजान इण्टरनेशनल, जाजमऊ, कानपुर में 05 ड्रम स्थापित पाये गये।

3- निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित 05 ड्रम में से 02 ड्रम में वेट प्रोसेस किया जाता पाया गया एवं 03 ड्रम संचालित नहीं पाये गये। निरीक्षण के समय उद्योग में कच्चे माल के रूप स्पिलिट लेदर से फिनिश्ड लेदर प्रोसेस किया जाता पाया गया। उक्त के अतिरिक्त फिनिश्ड लेदर का प्रयोग कर बेल्ट का उत्पादन किया जाता पाया गया।

4- उद्योग में उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं है। उद्योग के संचालन से जनित होने वाले उत्प्रवाह को बिना शुद्धिकृत किये ही ड्रेन के माध्यम से सीधे निस्तारित किया जाता है। **बोर्ड द्वारा वर्ष 2006 में सर्वेक्षण के दौरान तैयार की गयी 402 टैनरी इकाईयों की सूची में उक्त उद्योग अच्छादित नहीं है। उद्योग को बोर्ड द्वारा सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं है।**

5- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के पत्र संख्या 1128/एसटी–2017 दिनांक 29.07.2017 द्वारा टैनरी उद्योगों के निरीक्षण हेतु गठित समिति की टीम–3 द्वारा उक्त उद्योग का दिनांक 01.08.2017 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय उद्योग में 06 ड्रम साइज 8X8 के स्थापित पाये गये तथा उद्योग संचालित पाया गया था। उद्योग को बोर्ड से अनुमति/सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किये जाने के कारण संयुक्त टीम द्वारा उद्योग को अवैध रूप से मानते हुए उद्योग को तत्काल सील/बन्द कर दिया गया था। **निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा पारित आदेश का स्पष्ट उल्लघंन दर्शाता है।**

कृ0पृ0उ0

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज–3, कल्यानपुर, कानपुर नगर– 208 017
फोन : 2510999 फैक्स : 0512– 2510999

True Copy

7

(2)

6- यह कि उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाये जाने की दशा में **मै0 अजान इण्टरनेशनल, 93/78, 79–ए ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर पर** रू0 25000/– का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है।

7- यह कि उपरोक्त आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में इस प्रयोजन विशेष हेतु यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आईएफएस कोड–UBIN0570150 में दिनांक 05.07.2018 तक जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा निर्गत साक्ष्य इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

भवदीय

(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. अध्यक्ष महोदया के निजी सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित थाना प्रभारी को उद्योग के संचालन को निषेधित रखने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

True copy

48

ANNEXURE R/3 8

...पुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड
(उ.प्र. सरकार का उपक्रम)
विद्युत बिल एवम् विच्छेदन नोटिस

150801/- Cash ... 31/5/18

उपभोक्ताओं ... नया सुविधायें:-
1. घर बैठे ई.-पेमेण्ट करें। लॉग ऑन करे- www.kesco.c
2. मीटर रीडर से बिल प्राप्त करते वक्त मौके पर ही चैक "KESCO" के पक्ष में भुगतान कर रसीद प्राप्त करें। भूल से भी भुगतान न करें।
3. अपनी विद्युत सम्बन्धित समस्या के निराकरण हेतु केस्को टोल फ्री नं0 1912 पर शिकायत दर्ज करायें।

... खण्ड का नाम ARIF ANWARAZHAAN INTERNATIONAL 93/79 D IDGAH ROAD ... RAMBUR

उपभोक्ता का नाम पता एवम् दूरभाष संख्या श्री/श्रीमती

बुक संख्या	कनेक्शन संख्या	खाता संख्या	विद्युत प्रकार	भार (किवा/के.वी.ए./बी.एच.पी)	बिल संख्या	बिल अवधि से	बिल अवधि तक
H49P	074522	36111592	64	50.00HP	036180511000273	10/04/2018	07/05/2018

मीटर संख्या	पिछली रीडिंग (केडब्ल्यूएच/केवीएएच)	वर्तमान रीडिंग (केडब्ल्यूएच/केवीएएच)	मीटर गुणांक	उपयोग (केडब्ल्यूएच/केवीएएच)	पावर फेक्टर	वास्तविक माँग	स्टेटस	बिल दिनांक	देय...
KES24241	14927/16887	16056/15798	40.00	8244/211	0.98	38.56	Normal	11/06	

बिल आधार	निर्धारित यूनिट	समायोजित यूनिट	कुल देय यूनिट	कुल देय माँग	इन-आपरेटिव बकाया	जमा प्रतिभूति (रु.)	अतिरिक्त प्रतिभूति (रु.)	विच्छे...
MU	0	0	8448	38.56	0	40,000.00	0	

बिल का विवरण		धनराशि (रु.)	बिल का विवरण	धनराशि (रु.)
1. विद्युत मूल्य		59,202.26	कुल योग (क्रम संख्या 1 से 11)	76,740.99
2. फिक्सड/डिमाण्ड चार्जेज		0.00/9,543.60	12. अवशेष माह (माह से)	0
3. देय तिथि तक छूट	(-)	0	(क) पुराना स्थिर अवशेष	22,500.90/0
4. वोल्टेज/लोड फैक्टर छूट	(-)	0.00/0.00	(ख) पुराना अस्थिर अवशेष	0
5. न्यूनतम देय हेतु धनराशि		0.00/2,839.20	13. पिछला विलम्ब अधिभार	154.10
6. अनादृित चेक		0	14. किस्त धनराशि	
7. अधिक भार/डिमान्ड अधिभार		0.00	(क) बिल संख्या	
8. कैपेसिटर/पावर फैक्टर अधिभार/छूट		0.00/0.00	(ख) किस्त संख्या	0
9. विद्युत कर		5,155.94	(ग) देय दिनांक	0
10. डेबिट			15. अन्य देय	229.98
(क) निर्धारण	(+)	0	16. कुल देय धनराशि	100,237.00
(ख) मीटर मूल्य	(+)	0	17. देय तिथि के बाद	0
(ग) विच्छेदन/पुनः संयोजन शुल्क	(+)	0	(क) वर्तमान विलम्ब अधिभार	611.26
(घ) अन्य	(+)	0	(ख) निरस्तीकरण छूट	0
11. क्रेडिट			18. देय तिथि के बाद कुल देय धनराशि	100,237.00
(क) अग्रिम क्रेडिट	(-)	0.00		
(ख) अस्थायी क्रेडिट	(-)	0		11/05/2018
(ग) अन्य	(-)	0		
कुल योग (क्रम संख्या 1 से 11)	(+)	76,740.99		

देय तिथि तक देय धनराशि रू. 100,237.00
शब्दों में रू. (Rupees One Lakhs Thousand Two Hundered Thirty Seven Only)

देय तिथि के बाद देय धनराशि रू. 100,237.00
शब्दों में रू. (Rupees One Lakhs Thousand Two Hundered Th

अधिशाषी अभियन्ता

चेतावनी- कृपया ध्यान रखें कि प्रत्येक बिल का भुगतान देय तिथि को या उससे पूर्व अवश्य कर दें अन्यथा विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर दी जायेगी।

प्राप्ति रसीद संख्या	तिथि	धनराशि रू.
3503631051825240185	31-05-2018 11:31:54 AM	75000.0

शब्दों में रुपये (Rupees Seventy Five Thousand Only)
भुगतान का आधार Cash — चेक/ड्राफ्ट संख्या — दिनांक
बैंक का नाम — कैशियर का नाम 0 — कैशियर के हस्ताक्षर
0 Shri KantYadav JMCOUNTER25

अगले माह की मीटर रीडिंग की एडवाइस के लिए प्रयोग हेतु :

बुक संख्या	कनेक्शन संख्या	खाता संख्या	मीटर संख्या	मीटर रीडिंग	दिनांक
H49P	074522	36111592	KES24241	0	31/05/2018

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

1. कृपया ड्राफ्ट के पीछे कनेक्शन संख्या, खाता संख्या, नाम ... दर्शायें
1. बाह्य स्टेशन के चेक ... किये जायेंगे।

True copy

ANNEXURE R/4

9

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० H22769
Ref. No /सी-2/जल-1699/बन्दी आदेश/2018

दिनॉक
Date 27-6-18

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स अजान इण्टरनेशनल,
(मै0 जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर),
93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ,
कानपुर।

यह कि मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मै0 जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर), 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा– 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जो फिनिश्ड लेदर के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है।

यह कि उद्योग अजान इण्टरनेशनल (मै0 जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर), 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.06.18 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग बिना बोर्ड से स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र/पूर्व सहमति प्राप्त किये अवैध रूप से स्थापित/संचालित है। क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 13.06.18 द्वारा उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशांधित की धारा 33–ए के अन्तर्गत बंदी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा आपके औद्योगिक संयंत्र द्वारा किए जा रहे जलीय प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को जलीय प्रदूषण की रोकथाम हेतु चलाने से रोका जाए।

अतः जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33–ए के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. यह कि मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मै0 जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर), 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओ को तत्कालिक प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।

(टी0यू0 खान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग की बन्दी की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (केस्को), सब स्टेशन छबीलेपुरवा, कानपुर नगर को उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. महाप्रबन्धक जल संस्थान, कानपुर नगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को बन्दी आदेश की प्रति प्राप्त कराकर उक्त का अनुपालन 03 दिन में कराना सुनिश्चित करें एवं बन्दी सुनिश्चित रखने के संबंध में अनुपालन आख्या प्रेषित करते हुए सतत अनुश्रवण रखें।
6. महाप्रबंधक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।

AE(EP) 03/7/18

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2

J.B.(G) 2/7/18

True copy

Closure order

ANNEXURE R/5 10

(14)

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर
REGIONAL OFFICE : U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ 1598/टेनरी-519/18 दिनांक 15-9-18

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–**मै0 अजान इण्टरनेशनल, (मै0 जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर) 93/79–डी, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 24145/सी–2/जल–1699/कानपुर/18 दिनांक 31.07.2018 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 25.08.2018 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश जारी है, जो वर्तमान में प्रभावी है। निरीक्षण के समय उक्त बन्दी आदेश की अवेहलना कर उद्योग संचालित पाया गया।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–
1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

True copy

11

मै0 अजान इण्टरनेशनल, (मै0 जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर) 93/79–डी, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त उद्योग को बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी पत्रांक एच 24145/सी–2/जल–1699/कानपुर/18 दिनांक 31.07.2018 के अनुपालन में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर एवं श्री विनोद कुमार सिंह, चौकी इन्चार्ज, जाजमऊ के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 25.08.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री अजय बाजपेयी, गेटमैन उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. उक्त उद्योग मै0 अजान इण्टरनेशनल, जाजमऊ, कानपुर जो मै0 जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज, 150 फिट रोड, ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर परिसर के अन्दर स्थापित/संचालित है।
2. बोर्ड द्वारा वर्ष 2006 में सर्वेक्षण के दौरान तैयार की गयी सूची में उक्त उद्योग अच्छादित नहीं है। उद्योग को बोर्ड द्वारा सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं है।
3. उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक 07.06.2018 को किया गया था, जिसमें उद्योग बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त किये ही अवैध रूप से संचालित पाया गया। तत्क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 968/एस0टी0–2018/सा–1 दिनांक 14.06.2018 द्वारा विद्युत आपूर्ति विच्छेदन किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, कानपुर विद्युत आपूर्ति कं0 लि0, कानपुर को प्रेषित किया गया था।
4. उद्योग बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त किये ही अवैध रूप से संचालित किये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच22769/सी–2/जल–1699/बन्दी आदेश/2018 दिनांक 27.06.2018 द्वारा उद्योग को बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है।
5. उद्योग ने बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश के विरूद्ध अधिवक्ता श्री एस0के0 श्रीवास्तव का नोटिस दिनांक 10.07.2018 को क्षेत्रीय कार्यालय में तथा प्रत्यावेदन दिनांक 03.07.2018 एवं 05.07.2018 को बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया है, जिसमें बन्दी आदेश निक्षेपित किये जाने हेतु अनुरोध किया है। उक्त प्रत्यावेदन के क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 24145/सी–2/जल–1699/कानपुर/18 दिनांक 31.07.2018 द्वारा उद्योग का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। बोर्ड से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में उद्योग का निरीक्षण 25.08.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग जारी बन्दी आदेश की अवहेलना कर संचालित पाया गया।
6. निरीक्षण के समय उद्योग मै0 अजान इण्टरनेशनल, जाजमऊ, कानपुर में 05 ड्रम स्थापित पाये गये। उक्त के अतिरिक्त 01 ड्रम निष्प्रयोज्य अवस्था में पाया गया। उद्योग में कच्चे माल के रूप स्पिलिट लेदर से फिनिश्ड लेदर का उत्पादन किया जाता पाया गया।
7. उद्योग में उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं है। उद्योग के संचालन से जनित होने वाले उत्प्रवाह को बिना शुद्धिकृत किये ही ड्रेन के माध्यम से सीधे निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग से जनित अशोधित उत्प्रवाह का नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला से विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार उत्प्रवाह में जल प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक है।
8. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के पत्र संख्या 1128/एसटी–2017 दिनांक 29.07.2017 द्वारा टैनरी उद्योगों के निरीक्षण हेतु गठित समिति की टीम–3 द्वारा उक्त उद्योग का दिनांक 01.08.2017 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय उद्योग में 06 ड्रम साइज 8X8 के स्थापित पाये गये तथा उद्योग संचालित पाया गया था। उद्योग को बोर्ड से अनुमति/सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किये जाने के कारण संयुक्त टीम द्वारा उद्योग को अवैध रूप से मानते हुए उद्योग को तत्काल सील/बन्द कर दिया गया था।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना कर उद्योग का संचालन किया जा रहा है। अतः उद्योग द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों तथा निरीक्षण में पाये गये तथ्यों के दृष्टिगत उद्योग के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

Vivek 15/9/18	15/09/18	15/9/18	15/09/18
(विवेक कुमार)	(अंकित कुमार मिश्रा)	(आशुतोष पाण्डेय)	(डा0 ए0के0 माथुर)
अवर अभियन्ता	अवर अभियन्ता	सहा0पर्या0अभियन्ता	सहा0पर्या0अभियन्ता

~~क्षेत्रीय अधिकारी महोदय~~

कुलदीप मिश्र
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
कानपुर
17/9/18

AEE_AKM_su

True copy

संलग्नक -18 12

REGIONAL OFFICE
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
5243, Sadbhawana Nagar, Awas Vikas, Phase-III
Kalyanpur, Kanpur

SAMPLE CODE: UPPCB/K.

1. NAME OF INDUSTRY : M/s Azan International, 93/79 D, Idgah Road, J. Kanpur
2. INDUSTRY REPRESENTATIVE : Sri Ajay Kumar Bajpai, Gateman
3. SAMPLE POINT : Final Outlet of the Industry
4. SAMPLE COLLECTED BY : Sri Kuldeep Mishra (RO), Dr. A.K. Mathur (AE Sri Ashutosh Pandey (AEE), Sri Vivek Kumar (Sri Ankit Kumar Mishra (JE)
5. SAMPLE DATE : 25-08-2018
6. SAMPLE METHOD : Grab

S.NO.	PARAMETERS	RESULTS (After Treatment)	STANDARDS FOR TANNERY (After Primary Treatment)
1	COLOUR	-	-
2	ODOUR	-	-
3	pH	5.67	**6.5 – 9.0**
4	Total Solids (TS)	-	-
5	Total Dissolved Solids (TDS)	-	-
6	Total Suspended Solids (TSS)	1320	**Not to exceed 600**
7	SPECIFIC PARAMETERS TOTAL CHROMIUM	16.56	**2.0**

Note-

1- *All Values are in mg/L except pH.*

2- *The test report pertains to the sample as received in lab.*

A.Kumar 31-8-18 Vinay Dubey 31-08-18

Scientific Assistant | **Assistant Scientific Officer** | **Regional Officer**

कुलदीप मिश्र
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
कानपुर

True Copy

ANNEXURE R/6

13

(263) Received Isha 29-09-23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या/Ref. No. H97853 /सी-2/जल-337/23 दिनांक/Date 18-7-23

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर),
93/78, 79-ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ,
जनपद-कानपुर नगर।

यह कि **मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर), 93/78, 79-ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि आपके उद्योग मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर), 93/78, 79-ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्र दि0 28.01.2023 की आख्यानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्रांक एफ87139/सी-2/जल-337/बन्दी आदेश/16, दिनांक 09.09.2016 द्वारा उद्योग मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्टस्ट्रीज को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 ए के अन्तर्गत बन्दी निर्देश जारी किये गये है।

इकाई स्वामी श्री खुर्शीद अनवर द्वारा प्रस्तुत भूखण्ड संख्या-93/78, 79-ए-डी, जाजमऊ, कानपुर नगर का साइट प्लान सबमिट किया गया। प्रस्तुत साइट प्लान के अनुसार भूखण्ड के अर्द्धभाग में श्री खुर्शीद अनवर, श्री आरिफ अनवर, श्री शाहिद अनवर, श्री मकसूद अवनर व श्री खालिद अनवर के आवास स्थित हैं। उक्त भूखण्ड के मध्य भाग में श्री खुर्शीद अनवर द्वारा स्थापित मैसर्स जुनैद टैनरी स्थित है। मैसर्स जुनैद टैनरी इकाई के बायीं ओर एवं पृष्ठ भाग में 23 फिट पैसेज के उपरान्त मैसर्स अजान इण्टरनेशनल के नाम से टैनरी स्थापित कर संचालित किया जाता है, जिसके प्रोपराइटर श्री आरिफ अनवर हैं।

जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्र संख्या 968/एस0टी0-2018/सा-1, दिनांक 14.06.2018 द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति की टीम संख्या-03 द्वारा मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर) 93/78, 79-ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर को पत्र संख्या 1128/एस0टी0-2017 दिनांक 29.07.2017 द्वारा उद्योग को अवैध रूप से मानते हुए तत्काल बन्द/सील कर दिया गया था।

क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर द्वारा पूर्व में मैसर्स जुनैद टैनिंग इंडस्ट्रीज के परिसर में स्थित मैसर्स अजान इंटरनेशनल, 93/78, 79-ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर का निरीक्षण दिनांक 07.06.2018 को किया गया था, जिसमें मैसर्स अजान इंटरनेशनल संचालित पाया गया था। बोर्ड द्वारा वर्ष 2006 में सर्वेक्षण के दौरान तैयार की गयी 402 टैनरी इंकाईयों की सूची में नहीं है तथा मैसर्स अजान इंटरनेशनल को बोर्ड द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत नहीं किया गया है।

राज्य बोर्ड के पत्र संख्या 1037/टैनरी-519/18, दिनांक 20.06.2018 द्वारा मैसर्स अजान इंटरनेशनल, 93/78, 79-ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर को राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाये जाने की दशा में रूपये 25,000/- का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच22769/सी-2/जल-1699/बन्दी आदेश/2018, दिनांक 27.06.2018 द्वारा मैसर्स अजान इंटरनेशनल, 93/78, 79-ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33 ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज के परिसर में स्थापित/संचालित मैसर्स अजान इण्टरनेशनल का संचालन श्री आरिफ अनवर द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुपालन किये बिना किया जाता पाया गया

क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या दिनांक 07.02.2023 द्वारा उद्योग के विरूद्ध दिनांक 09.09.2016 से दिनांक 09.04.2019 तक की अवधि (990 दिवसों) के उल्लंघन हेतु रूपये 12,500/- प्रतिदिन की दर से कुल रूपये 1,23,75,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने किये जाने की संस्तुति की गयी है।

....2.....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Show Cause For EC draft

True copy

14

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त उद्योग के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न **मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर) 93 / 78, 79–ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर** पर दिनांक 09.09.2016 से दिनांक 09.04.2019 तक की अवधि (990 दिवसों) के उल्लंघन हेतु रूपये 12,500 / – प्रतिदिन की दर से कुल रूपये 1,23,75,000 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार उद्योग के विरूद्ध दिनांक 09.09.2016 से दिनांक 09.04.2019 तक की अवधि (990 दिवसों) के उल्लंघन हेतु रूपये 12,500 / – प्रतिदिन की दर से कुल रूपये 1,23,75,000 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2

प्रतिलिपि

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2

True copy

15

[illegible]IN IVR:[illegible]

[illegible] NAGAR SO ([illegible])

Counter No:7, 19/07/2023, 11:4[illegible]

To:AZAN [illegible],-

PIN:208001, Kanpur HO

From:UPPCB,-

Wt:[illegible]gms

Amt:0.00FM:77.00

(Track on www.indiapost.gov.in)

[illegible](Wear Masks, Stay Safe)

True copy

ANNEXURE R/7
16

सेवा में,

श्रीमान् सक्षम अधिकारी/मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–2
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0-12, बी–विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ ।

विषय : आपके नोटिस 1997853/सी–2/जल–337/23 दिनांक 18.07.2023 के सन्दर्भ में

महोदय,

आपके द्वारा दिया गया उपरोक्त नोटिस मुझे दिनांक 22.07.2023 को प्राप्त हुआ । उपरोक्त नोटिस में जो तथ्य मेसर्स अजान इण्टरनेशनल के विरूद्ध लगाया गया है, वह सर्वथा गलत है, अजान इण्टरनेशनल फर्म वर्ष 2018 से बंद चल रही है और किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है ।

मेसर्स अजान इण्टरनेशनल के विरूद्ध बिना वास्तविक चेकिंग के एक नोटिस दिनांक 20.06.2018 को सं0 1037/ट्रेनरी–0513/18 दिया गया था एवं 25,000/– रूपये जुर्माना लगाया गया था । उक्त नोटिस दिनांक 20.06.2018 का जवाब अजान इण्टरनेशनल द्वारा दिनांक 07.07.2018 को प्रेषित कर दिया गया था । तदोपरान्त अजान इण्टरनेशनल के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.07.18 को नोटिस भी दिया गया, उक्त जवाब से सन्तुष्ट हो करके जो जुर्माना 25,000/– रू0 का लगाया गया था, उस पर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी, जो नोटिस दिनांक 20.06.2018 को जिसमें अजान इण्टरनेशनल को चेकिंग अधिकारियों द्वारा चलता हुआ बताया था, वह वास्तव में बिना किसी विधिक चेकिंग के उल्लेखित किया गया था ।

आपके द्वारा दिनांक 09.09.2016 को एक पत्र सं0 87139/सी–2/जल/337/बन्दी आदेश द्वारा मेसर्स जुनैद टेनिंग इण्डस्ट्रीज को लिखित रूप से यह नोटिस दिया गया था कि दिनांक 28.04.2016 को निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया एवं मेसर्स जुनैद टेनिंग इण्डस्ट्रीज जिसके मालिक खुर्शीद अनवर हैं, चलाते हुए पाये गये एवं जल आदि का परीक्षण भी किया गया एवं इस आधार पर उनके विरूद्ध दिनांक 09.09.2026 से 09.04.2019 तक 1,23,75,000/– रू0 का जुर्माना लगाया गया जिसकी देनदारी जुनैद टेनिंग इण्डस्ट्रीज के मालिक की होती है ।

True Copy

ऐसा प्रतीत होता है आपके अधीनस्थ अधिकारी मिलीभगत कर जुनैद टेनिंग इण्डस्ट्रीज के मालिक क साथ मिलकर करके जो कार्यवाही जुनैद टेनिंग इण्डस्ट्रीज के मालिक के विरूद्ध की जानी चाहिए, वह कार्यवाही अपने को बचाने के लिए मेसर्स अजान इण्टरनेशनल पर फर्जी तौर पर आरोपित की जा रही है एवं गलत तरीके से पैसे की मांग की जा रही है जो विधि के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और यदि आप उपरोक्त फर्जी कार्यवाही को मेसर्स अजान इण्टरनेशनल के विरूद्ध अमल में लाते हैं तो भारतीय दण्ड संहिता के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करने के लिए मजबूर होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपसी व आपके अधीनस्थ कर्मचारियों की होगी ।

आपके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से पत्र दिनांक 09.09.2016 यह अंकित किया है कि मेसर्स जुनैद टेनिंग इण्डस्ट्रीज चलती हुयी पायी गयी थी कहीं पर भी आपके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.04.2016 को निरीक्षण के समय मेसर्स अजान इण्टरनेशनल को चलता हुआ नहीं बताया है क्या आपके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.04.2016 की रिपोर्ट फर्जी व बनावटी है, आपके पत्र दिनांक 18.07.2016 से यही स्पष्ट होता है कि आपके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा फर्जी तौर पर आपको सूचित किया गया, कि दिनांक 28.04.16 को दी गई निरीक्षण रिपोर्ट फर्जी है । अतः क्यों ना आपके उपरोक्त अधीनस्थ अधिकारियों के विरूद्ध भी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत उपरोक्त अपराधों हेतु विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाए ।

कष्ट के लिए धन्यवाद ।

प्रार्थी

आरिफ अख्तर

दिनांक : 25.07.2023

मेसर्स अजान इण्टरनेशनल
93/79, डी–ईदगाह रोड,
जाजमऊ, कानपुर नगर
(प्रोपराइटर)

<u>संलग्नक</u> :–

पत्र सं0 – 87139/सी–2/जल/337/ बन्दी आदेश/16 दिनांक 9.9.16 की फोटो प्रतिलिपि ।

True Copy

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ 1091/टैनरी-519/2023 दिनांकः– 02/12/2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर), 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच–98871/सी–2/जल–337/23, दिनांक 04.08.2023 द्वारा मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर), 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच–97853/सी–2/जल–337/23, दिनांक 18.07.2023 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस व उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 25.07.2023 के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(इं0 अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

True copy

19

मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर), 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के सम्बन्ध में आख्याः–

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच–98871/सी–2/जल–337/23, दिनांक 04.08.2023 द्वारा मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर), 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच–97853/सी–2/जल–337/23, दिनांक 18.07.2023 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 25.07.2023 का संज्ञान लेते हुए उद्योग का निरीक्षण कर आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देश मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) द्वारा दिये गये हैं, के अनुपालन में मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर), 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के उप–कार्यालय, जाजमऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.12.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण कार्य में सहयोग प्रदान नही किया गया और न ही उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा अपना परिचय/दूरभाष नम्बर बताया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष 2006 में सर्वेक्षण के दौरान तैयार की गयी 402 टैनरी इकाईयों की सूची में मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर), 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर आच्छादित नहीं है। मैसर्स अजान इण्टरनेशनल को राज्य बोर्ड द्वारा स्थापनार्थ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र व संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र कभी भी निर्गत नहीं किया गया है। यह सूच्य है कि भूखण्ड संख्या 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर में स्थापित मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर गुप्त रूप से अवैधानिक तरीके से स्थापित है। दिनांक 02.12.2023 के निरीक्षण के समय मैसर्स अजान इण्टरनेशनल संचालित पायी गयी तथा कच्चे माल के रूप में गेट के समीप रॉ–हाइड भण्डारित पायी गयी एवं 05 नग ड्रमों में प्रोसेस हेतु चमड़ा लोडेड पाया गया। उद्योग के संचालन से जनित/वहित अशोधित टैनरी उत्प्रवाह का जल नमूना रसायनिक विश्लेषण हेतु एकत्रण कर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में जमा किया गया। सुलभ साक्ष्य हेतु तत्समय लिये गये जी0पी0एस0 फोटोग्राफ्स निम्नवत् हैंः–

भूखण्ड संख्या 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर का मुख्य द्वार (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज)	भूखण्ड संख्या 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर में स्थित मैसर्स अजान इण्टरनेशनल का गेट
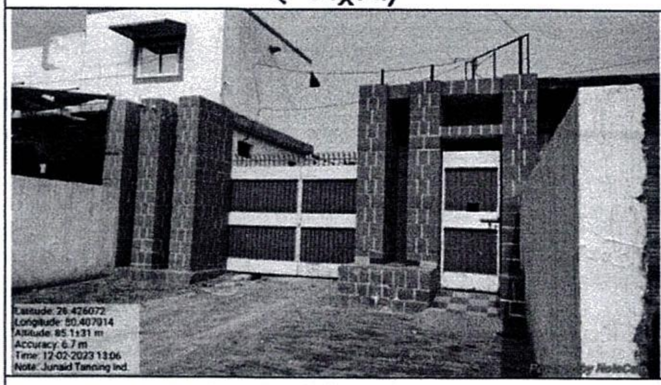	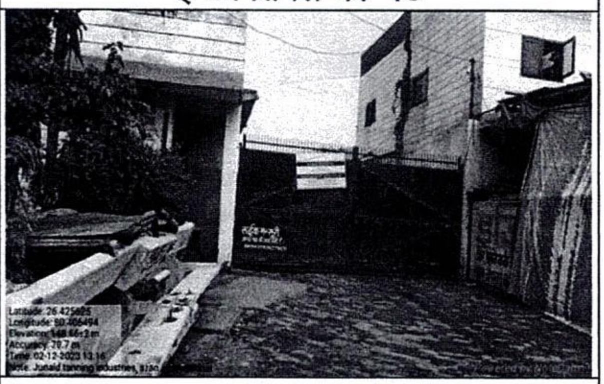
मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर), 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के संचालन से जनित/वहित अशोधित टैनरी उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्रण कार्य गेट के समीप स्थित नाली से लिये गये जी0पी0एस0 फोटोग्राफ्स	

True copy

20.

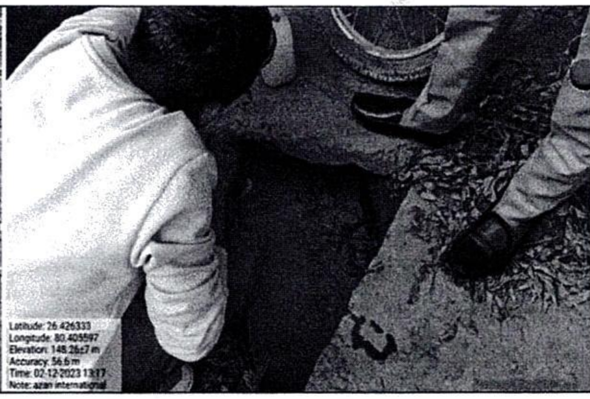

निरीक्षण के समय भूखण्ड संख्या 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर में स्थित मैसर्स अजान इण्टरनेशनल के संचालन हेतु विद्युत आपूर्ति स्थापित पायी गयी, जिसके जी0पी0एस0 फोटोग्राफ्स संलग्न है। विद्युत विच्छेदित किये जाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, केस्को, जाजमऊ, कानपुर नगर को पत्र प्रेषित किया गया।

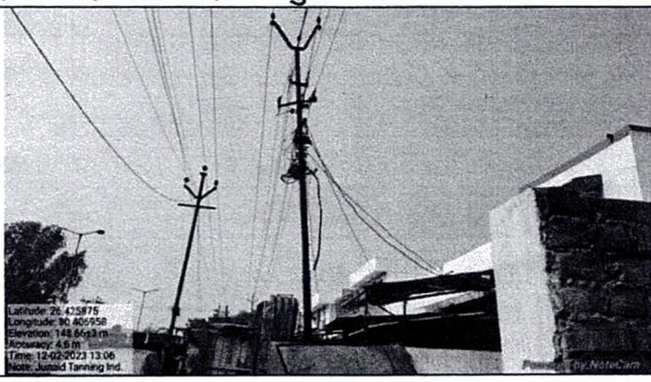

2. उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 25.07.2023 का परिशीलन किया गया, उक्त प्रत्यावेदन में उद्योग स्वामी द्वारा जो मन्तव्य व्यक्त कर यह अंकित किया गया है कि ***"मैसर्स अजान इण्टरनेशनल फर्म वर्ष 2018 से बन्द चल रही है और किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है"***, जोकि दिनांक 02.12.2023 के निरीक्षण के समय पूर्णतया असत्य पाया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग **मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर), 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर** को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच–98871/सी–2/जल–337/23, दिनांक 04.08.2023 द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए रूपये 1,23,75,000/– (एक करोड़ तेईस लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं उद्योग द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 25.07.2023 का निस्तारण नियमानुसार विधिक्षित कराते हुए संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सादर प्रस्तुत है।

(सौरभ हैरिस) 02.12.2023	(विकास यादव) 02.12.2023	(फरेश कुमार) 02-12-23
जे0आर0एफ0	जे0आर0एफ0	सहा0 पर्या0 अभियन्ता

<u>क्षेत्रीय अधिकारी/मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) महोदय,</u>

02/12/2023

True Copy

SP 21
ANNEXURE R/9

डाक प्राप्ति रसीद
दिनांक 08/1/24
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

सेवा में,

श्रीमान् सक्षम अधिकारी/मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)
टी0सी0 12–5,V विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010.

विषय : आपका पत्र सं0 एच–05275/सी–2/जल–337/24 दिनांक 05.01.2024 के सन्दर्भ में ।

महोदय,

आपका उपरोक्त पत्र मुझे दिनांक 12.01.2024 को प्राप्त हुआ, उसके पूर्व आपने एक पत्र दिनांक 18.07.2023 को प्रेषित किया था जिसका पूर्ण रूपेण विस्तृत उत्तर मैनें अपने पत्र दिनांक 25.07.2023 को प्रेषित किया था । आपने मेरे उपरोक्त पत्र दिनांक 25.07.2023 का कोई उत्तर नहीं दिया, उक्त पत्र की फोटो प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । आपके पत्र दिनांक 05.01.2024 से यह स्पष्ट होता है कि आपने उपरोक्त पते के जरिए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 406, 420, 467, 458 का सुनियोजित अपराध किया है जिसके लिए आप दण्ड के अधिकारी हैं ।

जहाँ तक दिनांक 02.12.2023 को भूखण्ड सं0 93/78, 79ए का सम्बन्ध है उससे प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है । प्रार्थी 93/79डी में अपना कार्य करता है और उसके यहां दिनांक 02.12.2023 को कोई निरीक्षण नहीं किया गया है । प्रार्थी के यहाँ कोई भी पावर का कनेक्शन नहीं है जिससे प्रार्थी अपने उद्योग का संचालन कर सके जिसकी सत्यता की पूर्ति विद्युत विभाग से की जा सकती है। प्रार्थी के यहाँ जो कनेक्शन लगा था वह कटा हुआ है एवं इसकी स्थायी विच्छेदन विद्युत विभाग द्वारा किया जा चुका है जिसकी विच्छेदन पत्र की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है । इसके अतिरिक्त प्रार्थी अपने मकान 93/89–डी, ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर का हाउस टैक्स नगर निगम

True Copy

22

:: 2 ::

में अदा करता है जिसकी नगर निगम द्वारा जारी टैक्स की रसीद फोटो प्रतिलिपि इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा है । आपके निरीक्षण अधिकारियों फर्जी निरीक्षण आख्या तैयार कर आपके सामने प्रस्तुत की गयी है जो स्वयं में अपराध की श्रेणी में आता है ।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि आप तीन दिन के भीतर सूचित करने का कष्ट करें कि क्यों न आपके/निरीक्षण अधिकारियों के विरूद्ध अपराधिक मुकदमा धारा 406, 420ख 467, 468 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत कानपुर नगर न्यायालय में विधिक कार्यवाही की जाए ।

यदि तीन दिन के भीतर आपका पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रार्थी विधिक कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी ।

धन्यवाद ।

प्रार्थी

दिनांक : 16.01.2024

मेसर्स अजान इण्टरनेशनल

93/79–डी, ईदगाह रोड,

जाजमऊ, कानपुर नगर ।

(प्रोपराइटर).

सलंग्नक :-

1. दिनांक 25/7/2023 को प्रेषित पत्र की फोटो प्रतिलिपि
2. स्थायी विच्छेदन पत्र की फोटो प्रतिलिपि
3. टैक्स जमा की रसीद की फोटो प्रतिलिपि

True copy